



Neutral Citation No. -2026: AHC:127349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18898/2026

दीपकआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	: विवेक सिंह
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। उक्त शपथपत्र के अनुच्छेद-4 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक को वाद अपराध संख्या 151/2026 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2026 को जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया है कि, उक्त प्रकरण के अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को वाद अपराध संख्या 149/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 351(2), 352, 324(5) बी.एन.एस. तथा धारा 7 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, थाना- फेज-III, जनपद- गौतम बुद्ध नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को इस वाद में झूठा फँसाया गया है तथा वह दिनांक 18.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा उसे कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि, एफ.आई.आर. के अनुसार, दो नामजद तथा लगभग 300-400 अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचक के परिसर में प्रवेश किया तथा पत्थर एवं ईंटें फेंकीं तथा कर्मचारियों के साथ कठोर एवं कुंद वस्तुओं से मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों को चोटें आईं। यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि जमानत प्रदान की जाती है,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तो आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि, न्यायालयों में वादों के अत्यधिक लंबित होने के कारण, विचारण शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

5. वहीं दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया।
6. आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है तथा उसका नाम एफ.आई.आर. में भी नहीं है, जिसके अनुसार, दो नामजद तथा 300-400 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रथम सूचक के परिसर में प्रवेश कर तोड़फोड़ की गई तथा उसके कर्मचारियों को चोटें पहुँचाई गई।
7. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, प्रकृति तथा साक्ष्यों के समग्र परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त वाद पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **दीपक** को उपर्युक्त वाद अपराध में ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जाए।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद का आरंभ, (2) आरोप विरचित करना और (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य हेतु गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह स्थगन की मांग नहीं करेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का एक आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल वर्तमान जमानत आवेदन के निर्णय तक ही सीमित है तथा इसे वाद के गुण-दोष पर न्यायालय की, किसी राय के रूप में, नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा और इस आदेश की किसी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(गरिमा प्रसाद, न्यायमूर्ति)

15 जून, 2026

सचिन मिश्रा

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।